भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2827

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

केरल में राजमार्ग परियोजनाएँ

2827 डा. जॉन ब्रिटास:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरुवनंतपुरम-अंगमाली ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों को इससे बाहर रखने के लिए संरेखण परिवर्तनों के साथ उक्त परियोजना को पुनर्जीवित करेगी;

(ग) कन्नूर और मैसूर के बीच सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में स्तरोन्नयन किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार ने चोव्वा-मट्टन्नूर-विराजपेट्टा-मदिकेरी-मैसूर सड़क कार्यों, एर्नाकुलम बाईपास और कोल्लम-शंकोट्टई सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 25 प्रतिशत वहन करने से छूट मांगी है;

(ङ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कर्नाटक में पड़ने वाले मैसूर-मलप्पुरम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के हिस्से के लिए संरक्षण की स्वीकृति प्राप्त करने और परियोजना को किसी उपयुक्त योजना के अंतर्गत पुनःशामिल करने के लिए कार्यवाही करेगा; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग), (ङ) और (च) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे के सुधार/चौड़ीकरण/निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता अध्ययन करती रहती है, ताकि संपर्कता (कनेक्टिविटी) में सुधार और राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे ग्रीड के साथ एकीकरण हो सके, इसके साथ ही अंतिम मील की कनेक्टिविटी भी प्रदान की जा सके। परियोजना कार्यान्वयन और निवेश का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के परिणाम, कनेक्टिविटी की आवश्यकता, यातायात सघनता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर लिया जाता है। जहां तक तिरुवनंतपुरम-अंगमाली ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना के लिए डीपीआर के संबंध में इसे समय पूर्व बंद कर दिया गया है। मैसूर-मलप्पुरम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के संबंध में, कोई भी संरेखण पश्चिमी घाट और बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरेगा, जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसके लिए पारिस्थितिकी और वन्यजीव संरक्षण के दृष्टिकोण से गहन अध्ययन और मंजूरी की आवश्यकता है।

(घ) सामान्यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास और रखरखाव की लागत केंद्र सरकार वहन करती है। तथापि, कुछ परियोजनाओं में, परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में भूमि अधिग्रहण (एलए)/निर्माण की लागत राज्य सरकार द्वारा भी वहन कि जाता है। अंगमाली-अरूर ग्रीनफील्ड परियोजना (एर्नाकुलम बाईपास) के संबंध में, शहरी भीड़भाड़ कम करने की नीति के तहत सरकार द्वारा संरेखण को मंजूरी दे दी गई है और केरल सरकार से जीएसटी और रॉयल्टी से छूट के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की लागत का 25% अंशदान करने या 29.05.2026 की शहरी भीड़भाड़ कम करने की नीति के अनुसार किसी अन्य लागत साझाकरण तंत्र पर सहमत होने का अनुरोध किया गया है।
